Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बारां में उपनिरीक्षक पुलिस को 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **भीलवाड़ा में सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 2500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *25 फरवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर आज एसीबी की टीमों द्वारा दो अलग–अलग कार्यवाहियों करते हुये झालावाड़ में पुलिस थाना सदर, बारां में द्वितीय थानाधिकारी उपनिरीक्षक पुलिस सीताराम मीणा को 3 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते तथा भीलवाड़ा में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण कुमार चौबे को 2500 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके रिश्तेदार के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मारपीट नहीं करने एवं परेशान नहीं करने की एवज में उपनिरीक्षक पुलिस सीताराम मीणा द्वितीय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, बारां द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा पुलिस थाना सदर, बारां पर ट्रेप कार्यवाही करते हुये सीताराम मीणा पुत्र स्व. श्री नैनगा मीणा निवासी बम्बूलिया, इटावा, जिला कोटा हाल उपनिरीक्षक पुलिस द्वितीय थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, बारां को **3** हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा 2 हजार रुपये रिश्वत प्राप्त भी कर ली गई थी।

इसी प्रकार महानिदेशक श्री सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उपखण्ड कार्यालय भीलवाड़ा में विचाराधीन एक वाद में निकटतम तारीख पेशी देने एवं केस को सुचारू संचालन करने की एवज में सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण कुमार चौबे द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री शिवप्रकाश एवं उनकी टीम के द्वारा कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा पर ट्रेप कार्यवाही करते हुये कृष्ण कुमार पुत्र श्री उंकार लाल चौबे निवासी सोपस्टोन फैक्ट्री के पीछे, नाहर साहब के कुऐं के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को 2500 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा दो बार 1 हजार रुपये एवं 1500 रुपये रिश्वत प्राप्त भी कर ली गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।